न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 190/2020 **दायर दिनांकः 12/11/2020**

उनवान

1. गुमानसिंह आयु 55 वर्ष पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बिछालस हाल निवासी बोरखेड़ा कोटा जिला कोटा (राज0)।

प्रार्थी

बनाम

1. जितेन्द्र सिंह आयु 48 वर्ष पुत्र निर्भयसिंह जाति राजपूत
2. बृजराज सिंह आयु 46 वर्ष पुत्र निर्भयसिंह जाति राजपूत
3. भूपेन्द्र सिंह आयु 44 वर्ष पुत्र निर्भयसिंह जाति राजपूत
4. नन्दकुंवर बाई आयु 70 वर्ष पत्नि स्व0 निर्भयसिंह जाति राजपूत निवासीगण सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–

प्रार्थी :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

अप्रार्थी :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन अप्रार्थी क्रम 1

निर्णय दिनाकः 12/09/2022

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल बिछालस पटवार हल्का कटावर तहसील अटरू जिला बारां (राज0) की खाता संख्या 28 के ख0न0 572/153 का रकबा 3.01 है0 कुल किता 1 का रकबा 3.01 है0 आराजी प्रार्थी के दर्ज खाता स्थित हैं। प्रार्थना पत्र के साथ नकल नवीन जमाबन्दी प्रार्थी, नक्शा ट्रेश एवं नजरी नक्शा पेश हैं। जो काबिल गोर हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के खेत लगवा हैं। प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ख0न0 572/153 का रकबा 3.01 है0 पर आने–जाने का स्थाई रास्ता अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 57 का ख0 न0 150/514 का रकबा 0.37 है0, ख0न0 151 का रकबा 3.31 है0, ख0न0 155 का रकबा 3.80 है0, ख0न0 220/513 का

रकबा 0.12 है0 कुल किता 4 का रकबा 7.60 है0 की मेढ पर होकर हैं उक्त रास्ते से प्रार्थी अपने खेत पर आता–जाता हैं। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 प्रार्थी को रास्ते में से निकलने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तथा रास्ते को हांककर अवरूद्ध कर दिया हैं। जिससे प्रार्थी को आने–जाने एवं कृषि यंत्र लाने–ले–जाने का संकट उत्पन्न हो गया हैं। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 को उनके द्वारा किये जा रहे हैं अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही हैं अगर अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी अपने स्वामित्व की आराजी पर आने–जाने से वंचित हो जावेंगा। जिससे प्रार्थी समय पर अपने खेत को नही हंकवा सकेंगा, सिंचाई नहीं कर सकेंगा तथा आराजी पड़त रह जावेगी तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थी को अनेक परेशानियों का सामना करना पडेगा। जिसके फलस्वरूप प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं हैं तथा प्रार्थी को अनेकानेक वाद–विवादों में उलझना पड़ेगा। अत :प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता हैं कि अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 प्रार्थी को उसके स्वामित्व की आराजी पर आने जाने हेतु खाता संख्या 57 का ख0न0 150/514 का रकबा 0.37 है0 की मेढ़ पर ए से बी अंको से प्रदर्शित स्थाई रास्ता 4 मीटर चौड़ाई में रखे तथा प्रार्थी को उसके खेत पर पूर्व की भांति आने जाने का रास्ता ए से बी के उपयोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाले। प्रार्थी रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार हैं। विवादग्रस्त रास्ता एवं आराजी वाके ग्राम एवं माल बिछालस तहसील अटरू जिला बारां में स्थित हैं जिसका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को ग्राम बिछालस में उसके स्वामित्व की आराजी ख0न0 572/153 का रकबा 3.01 है0 पर आने–जाने का स्थाई रास्ता 4 मीटर चौडा रास्ता अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के खाता संख्या 57 का 150/514 का रकबा 0.37 है0 की मेढ़ पर होकर दिलाया जावें । प्रार्थी रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार हैं। रास्ते को संलग्न नक्शे में ''ए से बी'' मार्क से प्रदर्शित किया गया हैं। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में उक्त रास्ता दर्ज करने के आदेश तहसीलदार अटरू को प्रदान करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। अप्रार्थी क्रम 2 लगा 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. अप्रार्थी क्रम 5 जरिये तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/1157 दिनांक 17.05.2022 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि ग्राम बिछालस की आराजी ख0नं0 572/153 रकबा 3.01 है0 भूमि गुमानसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बिछालस के नाम खाते दर्ज है। ख0नं0 572/153 पर आने जाने हेतु मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा लठ्ठा कोई रास्ता दर्ज नहीं है। ग्राम बिछालस की आराजी ख0नं0 150/514 की 0.37 है0, 151 की 3.31 है0, 155 की 3.80 एवं ख0नं0 220/513 की 0.12 है0 किता 4 रकबा 7.60 है0 भूमि जितेन्द्रसिंह पुत्र निर्भयसिंह हिस्सा 1/4, नन्दकुंवरबाई पत्नि स्व0 निर्भयसिंह हिस्सा 1/4, बृजरासिंह पुत्र निर्भयसिंह हिस्सा 1/4, भूपेन्द्रसिंह पुत्र निर्भयसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत निवासी सकतपुर के नाम खाते दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी ख0नं0 572/153 पर आने जाने हेतु ख0नं0 150/514 में रास्ता मांगा गया है। ख0नं0 150/514 के खातेदारों का अपनी आराजी ख0नं0 150/514 पर कब्जा काश्त नहीं है इस आराजी पर ख0नं0 150 के खातेदारों बलराम पुत्र रामचन्द्र वगै0 जाति मीना निवासी बिछालस का कब्जा काश्त है। यदि ख0नं0 150/514 में से रास्ता दिया जाता है तो ख0नं0 150 में से भी रास्ता दिया जायेगा तब जाके पूरा रास्ता क्लियर होगा। ख0नं0 150/514 में रास्ता देने पर रास्ते की लंबाई 152 मी0 व चौडाई 4 मीटर होगी तथा ख0नं0 150 में रास्ते की लम्बाई 16 मीटर व चौडाई 4 मीटर होगी तथा ख0नं0 151 में रास्ते की लम्बाई 140 मीटर व चौडाई 4 मीटर होगें।

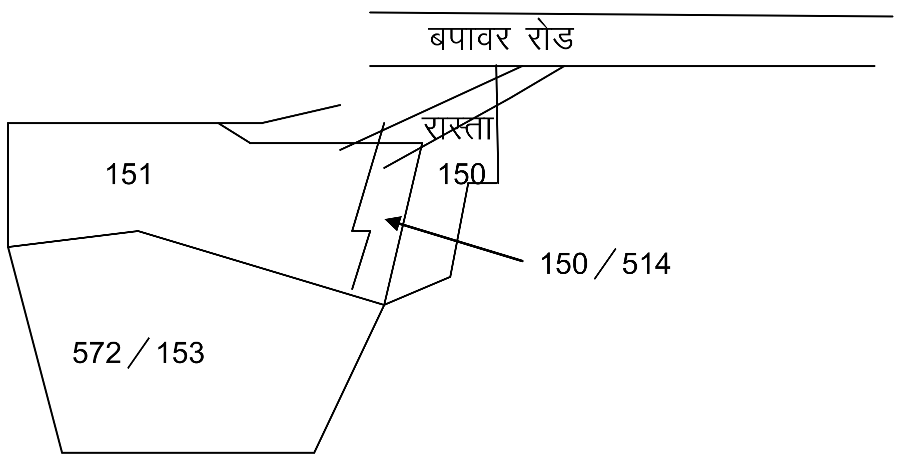

3. अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि प्रार्थी को ग्राम बिछालस की अपनी कृषि आराजी ख0नं0 572/153 तक पहुंच हेतु कोई रिकोर्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी वर्षो से ख0नं0 151 व 150/514 के मध्य में बनी मेड के सहारे ही आपसी सहमती से गुजरते आये है लेकिन विगत कुछ समय से अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 द्वारा रास्ते में व्यवधान उत्पन्न किये जा रहे है। अतः नया रिकार्डेड रास्ता लेना प्रार्थी की absolute आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थी के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रिकोर्डेड रास्ता नहीं है और नया रास्ता नहीं दिया तो प्रार्थी का खेत पडत रह जायेगा जिससे प्रार्थी के परिवार के पालन पोषण मुश्किल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार प्रस्तावित रास्ता लघूत्तम रास्ता है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा आगे तर्क किया कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि का DLC दरो से दुगुनी दरो पर भुगतान करने के लिए तैयार है।

5. उपरोक्त बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया। अप्रार्थी क्रम 5 तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 17.05.2022, ग्राम बिछालस की जमाबन्दी संवत 2072–75 प्रदर्श 1, प्रदर्श 2 व प्रदर्श 4, ख0नं0 572/153 के नजरी नक्शा प्रदर्श 3 व प्रदर्श 5 आदि का अवलोकन किया गया। अवलोकन के आधार पर निम्न बिन्दु साबित होते है–

(I) **<u>वैकल्पिक रास्ता नहीं होना</u>**– प्रार्थी को अपने खातेदारी की कृषि आराजी ख0नं0 572/153 तक पहुंच हेतु वर्तमान में कोई भी रिकार्डेड रास्ता विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।

(II) **<u>नितान्त आवश्यकता होनाः–</u>** प्रार्थी के खेत तक पहुंचने और कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के लिए पहुंच मार्ग/रास्ते की नितान्त आवश्यकता है अन्यथा रास्ते के अभाव में और अप्रर्थीगण द्वारा प्रचलित रास्ते को बन्द कर दिये जाने की स्थिति में प्रार्थी की भूमि पडत रह जायेगी।

(III) **<u>सबसे लघुतम रास्ता होनाः–</u>** प्रार्थी के खेत ख0नं0 572/153 तक पहुंच हेतु 2 नये रास्ते – (1) ख0नं0 151 व ख0न0 150/514 में होकर रास्ता दिया जावे तो तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार रास्ते की लंबाई 140 मीटर होगी (2) ख0नं0 150/514 व ख0नं0 150 के मध्य की मेड से होकर दिया से जाने वाले रास्ते के लम्बाई तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार 152+16 यानी 168 मीटर है और ख0नं0 150 के

खातेदारों को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार बनाना पडेगा। अतः प्रार्थी के खेत ख0नं0 572/153 तक पहुंच का सबसे लघुतम रास्ता ख0नं0 151 एवं ख0नं0 150/514 के मध्य की मेढ से दोनो ओर 2–2 मीटर गुजरने वाला रास्ता होगा।

(IV) <u>डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः</u>–प्रार्थी, अप्रार्थीगण के ख0नं0 ख0नं0 151 व 150/514 के मध्य से होकर दिये जाने वाले 152 मीटर लम्बे एवं 4 मीटर चौडे रास्ते हेतु उपयोग आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दरों से दुगनी राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है।

5. अतः प्रार्थी द्वारा डीएलसी. की दुगुनी राशि जमा कराने की सहमति के आधार पर ग्राम बिछालस में अप्रार्थीगण के ख0नं0 151 एवं ख0नं0 150/514 में से तहसीलदार द्वारा पेश नजरी नक्शे के अनुसार 4 मीटर चौडा व 152 मीटर लम्बा रास्ता दिया जाना न्यायोचित होगा।

–::<u>क्रियात्मक आदेश</u> ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ग्राम बिछालस तहसील अटरू के ख0नं0 572/153 का रकबा 3.01 है0 तक आने–जाने हेतु तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिछालस के ख0नं0 151 व ख0नं0 150/514 के मध्य की मेड के सहारे दोनों ओर 2–2 मीटर चौडा एवं 152 मीटर लम्बा यानी 608 वर्ग मीटर यानी 0.06 है0 भूमि की **DLC** दर की दुगनी राशि अप्रार्थीगण को दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 12/09/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां